भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

के बीच

सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु समझौता

26 अप्रैल, 2006

विषय सूची (TABLE OF CONTENTS)

1. परिभाषाएं और व्याख्या (DEFINITIONS AND INTERPRETATION)
2. पूर्ववर्ती शर्तें (CONDITIONS PRECEDENT)..... 6
3. सेवाओं का कार्यक्षेत्र (SCOPE OF SERVICES)..... 7
4. राजस्व और शुल्क (REVENUE AND CHARGES)..... 9
5. सेवाओं के मानक और निष्पादन में विफलता (STANDARDS OF SERVICES AND FAILURE TO PERFORM) 10
6. अप्रत्याशित घटना (FORCE MAJEURE).... 11
7. अवधि (TERM)..... 12
8. अधिकार हस्तांतरण (ASSIGNMENT). 12
9. विवाद निवारण (DISPUTE RESOLUTION) 13
10. सूचनाएं (NOTICES)..... 13
11. प्राप्त माना जाना (DEEMED DELIVERY). 14
12. समन्वय समिति (CO-ORDINATION COMMITTEE) 14
13. शासी भाषा (GOVERNING LANGUAGE). 16
14. शासी कानून (GOVERNING LAW) 16

अनुसूची 1 (SCHEDULE 1)..... 17

अनुसूची 2 (SCHEDULE 2)..... 18

दिल्ली **सी 020430**

सीएनएस/एटीएम सुविधा और सेवा समझौता

यह सीएनएस/एटीएम सुविधा और सेवा समझौता (यह "समझौता") अप्रैल 2006 के 26वें दिन निष्पादित किया गया है।

पक्षों के मध्य:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक प्राधिकरण, जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली में है, जो अपने अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर रहा है (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती शामिल होंगे) **प्रथम पक्ष**; और
2. **मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीएसआई एयरपोर्ट पर स्थित है (जिसे इसके बाद "जेवीसी" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरिती शामिल होंगे) **द्वितीय पक्ष**।

एएआई और जेवीसी को इसके बाद सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" कहा गया है।

जबकि

(क) जेवीसी ने दिनांक 4 अप्रैल, 2006 को एक संचालन, प्रबंधन और विकास समझौता ("ओएमडीए") किया है, जिसके अनुसार वह हवाईअड्डे के विकास, संचालन, प्रबंधन, उन्नयन, आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("अधिनियम") के अनुसार, एएआई भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक हवाईअड्डों पर हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

(ग) उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, एएआई इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाईअड्डे पर हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करेगा।

अब इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और समझौतों के प्रतिफल में तथा अन्य प्रतिफल के लिए, जिसकी प्राप्ति, पर्याप्तता और उपयुक्तता एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं इस समझौते में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"**एएआई उपकरण**" का अर्थ जेवीसी उपकरणों को छोड़कर वे सभी उपकरण हैं, जो एएआई को एएआई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एएआई द्वारा आवश्यक हैं;

"**एएआई सेवाएं**" का अर्थ खंड 3.1 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है;

"**संबद्ध/सहयोगी (Affiliate)**" किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में, किसी भी अन्य व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है या उसके साथ समान नियंत्रण में होता है; हालांकि, बशर्ते कि इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए, "नियंत्रित करना", "द्वारा नियंत्रित" या "समान नियंत्रण के अधीन" का अर्थ किसी व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करने या मार्गदर्शन करने की शक्ति होना है, चाहे वह मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से हो, अनुबंध द्वारा या अन्यथा, या ऐसे व्यक्ति के संबंध में कम से कम 50% निदेशकों, प्रबंधकों, भागीदारों या समान अधिकार का प्रयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को चुनने या नियुक्त करने की शक्ति हो;

"**हवाईक्षेत्र प्रकाश प्रणाली (Airfield Lighting System)**" का अर्थ प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान संचालन और एरोड्रोम श्रेणी के लिए आवश्यक हवाईअड्डे पर प्रकाश प्रणालियों (रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में शामिल) से है;

"**हवाई अड्डा (Airport)**" का अर्थ छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है;

"**हवाई अड्डा स्थल (Airport Site)**" का वही अर्थ है जो ओएमडीए (OMDA) में इसे सौंपा गया है;

"**शिकागो कन्वेंशन (Chicago Convention)**" का अर्थ समय-समय पर संशोधित और/या पूरक शिकागो कन्वेंशन 1944 से है; और शिकागो कन्वेंशन के किसी "**अनुलग्नक (Annexe)**" का संदर्भ समय-समय पर संशोधित और/या पूरक ऐसे अनुलग्नक से माना जाएगा;

"**सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services)**" का अर्थ संचार, नेविगेशन और निगरानी तथा हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं से है, जैसा कि अनुसूची 2 में अधिक विशेष रूप से वर्णित है;

"**डीजीसीए (DGCA)**" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार है;

"**प्रभावी तिथि (Effective Date)**" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 2.1 में दिया गया है;

"**सुविधा (Facility)**" का अर्थ हवाईअड्डे पर हवाई यातायात सेवा परिसर से है, जिसमें वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग के प्रावधान के साथ एएआई कर्मियों के लिए नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक और कार्यालय स्थान शामिल हैं;

"**भारत सरकार (GOI)**" का अर्थ भारत सरकार और भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत कोई भी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या वैधानिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है;

"**आईसीएओ (ICAO)**" का अर्थ शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और उसका कोई भी उत्तराधिकारी है;

"**आईसीएओ अनुलग्नक और दस्तावेज**" का अर्थ समय-समय पर संशोधित आईसीएओ अनुलग्नक और दस्तावेज हैं;

"**घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया (Incident Reporting Procedure)**" का अर्थ घटनाओं और आपात स्थिति की रिपोर्टिंग के लिए एएआई और जेवीसी द्वारा समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है;

"**जेवीसी उपकरण (JVC Equipment)**" का अर्थ अनुसूची 1 में निर्धारित वस्तुओं से है;

"**जेवीसी के दायित्व (JVC Obligations)**" का अर्थ खंड 3.3 के अनुसार जेवीसी द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्वों से है;

मौसम संबंधी सुविधाएं (Meteorological Facilities)

मौसम संबंधी सुविधाओं में विभिन्न मौसम संबंधी उपकरण और प्रणालियां, और उड़ान के विभिन्न चरणों जैसे पूर्व-उड़ान योजना, उड़ान भरना (take-off), क्लाइंब-आउट, लेवल-क्रूज़, उतरना (descent) और लैंडिंग से संबंधित मौसम डेटा शामिल हैं। इसमें चार्ट, दस्तावेज, पूर्वानुमान, प्रसारण और ब्रीफिंग भी शामिल हैं।

"**ओएमडीए (OMDA)**" का वही अर्थ है जो इसके प्रस्तावना (Recitals) में सौंपा गया है।

"**परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया (Operating Reporting Procedure)**" का अर्थ एएआई और जेवीसी द्वारा समय-समय पर एएआई सेवाओं और जेवीसी के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों के दैनिक निर्वहन के संबंध में जानकारी के संचार के लिए सहमत होने वाली प्रक्रिया से है।

"**व्यक्ति (Person)**" का अर्थ कोई भी व्यक्ति, निगम, कंपनी, साझेदारी, सीमित देयता कंपनी, संयुक्त उद्यम, संघ या ट्रस्ट या कोई अन्य संस्था या संगठन होगा।

"**कार्मिक (Personnel)**" का अर्थ सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) सेवाएं प्रदान करने वाले एएआई कर्मी हैं।

"रेसा (RESA)" या "रनवे एंड सेफ्टी एरिया" का अर्थ विस्तारित रनवे सेंटर लाइन के चारों ओर सममित और स्ट्रिप के अंत से सटे हुए ऐसे क्षेत्र से है, जो मुख्य रूप से रनवे से पहले उतरने (undershooting) या रनवे से आगे निकल जाने (overrunning) वाले विमान को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए होता है।

"रूट नेविगेशन सुविधाएं शुल्क (Route Navigation Facilities Charges)" का अर्थ एएआई के वर्तमान आदेशों के अनुसार रूट नेविगेशन सुविधाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस और/या विमान ऑपरेटरों से वसूले जाने वाले शुल्क से है।

"टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क (Terminal Navigational Landing Charges)" का अर्थ टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस या विमान ऑपरेटरों से वसूले गए या वसूले जाने वाले शुल्क से है।

1.2 व्याख्या (Interpretation)

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) एकवचन के संदर्भ में बहुवचन का संदर्भ शामिल होगा और इसके विपरीत भी; और किसी भी लिंग के संदर्भ में दूसरे लिंग का संदर्भ शामिल होगा।

(ii) किसी भी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक का संदर्भ इस समझौते के अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक का संदर्भ माना जाएगा।

(iii) परिशिष्ट, अनुसूचियां, संलग्नक और अनुलग्नक इस समझौते का एक अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेदों के किसी भी प्रावधान और परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों या अनुलग्नकों के किसी भी प्रावधान के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, अनुच्छेदों का प्रावधान मान्य होगा।

(iv) कानून का बल रखने वाले किसी भी कानून या विनियमन के संदर्भ में समय-समय पर यथा संशोधित, परिवर्तित, पूरक, विस्तारित या पुनर्मूल्यांकित कानून या विनियमन का संदर्भ शामिल है।

(v) समय का कोई भी संदर्भ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, भारत में समय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। कैलेंडर के किसी भी संदर्भ को ग्रेगोरियन कैलेंडर के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(vi) इस समझौते में अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों और अनुलग्नकों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए डाले गए हैं और इस समझौते के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

(vii) "शामिल हैं" या "शामिल करते हुए" शब्दों के बाद "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" माना जाएगा, चाहे उनके बाद ऐसे वाक्यांश हों या न हों।

(viii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संदर्भित समय की किसी भी अवधि को ऐसी अवधि की अंतिम तिथि के अंत में समाप्त माना जाएगा।

(ix) यदि अनुच्छेद 1 में कोई भी प्रावधान किसी भी पक्ष को अधिकार प्रदान करने वाला या दायित्व थोपने वाला एक मौलिक प्रावधान है, तो उसे इस प्रकार प्रभावी किया जाएगा मानो वह इस समझौते के मुख्य भाग में एक मौलिक प्रावधान हो।

(x) निर्माण का नियम, यदि कोई हो, कि किसी अनुबंध की व्याख्या उसके प्रारूपण और तैयारी के लिए जिम्मेदार पक्षकारों के खिलाफ की जानी चाहिए, लागू नहीं होगा।

(xi) समझौतों, दस्तावेजों या अन्य उपकरणों के सभी संदर्भों में (सभी प्रासंगिक अनुमोदनों के अधीन) समय-समय पर संशोधित, पूरक, परिवर्तित, प्रतिस्थापित, नवीनीकृत या हस्तांतरित उस समझौते, दस्तावेज या उपकरण का संदर्भ शामिल है।

2. पूर्ववर्ती शर्तें (CONDITIONS PRECEDENT)

2.1 सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें (Conditions Precedent to Services)

इस समझौते के प्रावधान (खंड-1, 2, 8 से 14 तक शामिल प्रावधानों को छोड़कर जो इस समझौते की तारीख से ही पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे) उस तारीख ("प्रभावी तिथि") से प्रभावी और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे, जिस तारीख को ओएमडीए (OMDA) की पूर्ववर्ती शर्तें उसकी शर्तों के अनुसार पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं या माफ कर दी जाती हैं।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होना (Non-fulfilment of Conditions Precedent)

यदि पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होने के कारण ओएमडीए (OMDA) को समाप्त कर दिया जाता है, तो यह समझौता दोनों में से किसी भी पक्ष पर बिना किसी दायित्व के तुरंत समाप्त हो जाएगा।

3. सेवाओं का दायरा (SCOPE OF SERVICES)

3.1 एएआई सेवाएं (AAI Services)

एएआई अपनी अवधि के दौरान हर समय (प्रतिदिन चौबीस घंटे सहित), प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित मानकों के अनुसार और अपनी लागत पर:

(i) सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगा;

(ii) एएआई उपकरणों का रखरखाव करेगा, जिसमें एएआई उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन (फ्लाइट कैलिब्रेशन) और अन्य परीक्षण शामिल हैं;

(iii) समय-समय पर एएआई उपकरणों को उन्नत (अपग्रेड) करेगा

(क) कम से कम प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए; और

(ख) हवाईअड्डे के विस्तार/उन्नयन के परिणामस्वरूप;

(iv) हवाईअड्डे पर प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार और इस समझौते के तहत एएआई द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों के अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपकरणों की अपनी लागत पर खरीद करेगा;

(v) शिकागो कन्वेंशन के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और उन्हीं शर्तों पर, जैसा कि एएआई अन्य सभी एएआई हवाईअड्डों पर ऐसी सेवाएं प्रदान करता है, हवाईअड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त करेगा, जब तक कि भारत सरकार एएआई के स्थान पर किसी अन्य एजेंसी को नामित करने का निर्णय न ले ले; और

(vi) अपनी परिचालन सुविधा के लिए एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, बशर्ते कि इस प्रकार के स्थानांतरण से ओएमडीए के तहत जेवीसी के दायित्व या हवाईअड्डे का सुचारू संचालन प्रभावित न हो।

3.2 एटीएम, एन-रूट और अन्य सेवाएं (ATM, Enroute and other Services)

यदि एएआई को आवश्यकता होती है, तो वह अपनी लागत पर एन-रूट हवाई नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को हवाईअड्डे पर या हवाई अड्डा स्थल पर स्थितिबद्ध (या आवश्यकतानुसार स्थानांतरित) कर सकता है। हवाईअड्डे पर ऐसे रडार, उपकरण, भवन, कार्य या अन्य सुविधाओं को स्थानांतरित करते समय, एएआई हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी बाधा से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। संदेह से बचने के लिए, सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यों से किए गए ऐसे स्थानांतरण के कारण हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान के लिए एएआई को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

3.3 जेवीसी के दायित्व (JVC Obligations):

इस समझौते की अवधि के दौरान, जेवीसी, ओएमडीए (OMDA) में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त:

3.3.1 यह सुनिश्चित करेगा कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण और रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप से किया गया है और वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं;

3.3.2 यह सुनिश्चित करेगा कि रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर्स, स्टॉप वे और रेसा (RESA) तथा टैक्सीवे और आइसोलेशन बे आदि के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर्स का निर्माण और

रखरखाव प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया है;

3.3.3 यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे की बाधा सीमा सतहों (ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस) तथा एप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाएगा;

3.3.4 यह सुनिश्चित करेगा कि बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी उपलब्ध कराई जाएगी और उसका रखरखाव आईसीएओ प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा;

3.3.5 यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न सीएनएस/एटीएम उपकरणों/सुविधाओं के लिए एएआई द्वारा चिह्नित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाएगा ताकि उपकरणों के कामकाज और विमान संचालन की सुरक्षा प्रभावित न हो;

3.3.6 यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्थाएं मौजूद हैं;

3.3.7 यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक (कंटिंजेंसी) व्यवस्थाएं मौजूद हैं:

(i) रनवे से असक्षम/क्षतिग्रस्त विमान को हटाना;
(ii) विमान या हवाईअड्डे को बम से उड़ाने की धमकी;
(iii) हवाईअड्डे और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं;
(iv) गैर-अनुसूचित विमान का हवाईअड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;
(v) हवाईअड्डे पर आग लगना;
(vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;
(vii) हवाईअड्डे पर हड़ताल;
viii) नागर विमानन के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप।

3.3.8 यह सुनिश्चित करेगा कि आपातकालीन सेवाओं (आग, चिकित्सा और पुलिस) और हवाई अड्डा प्रबंधक को सुविधा से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटियां स्थापित की गई हैं;

3.3.9 एएआई सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक एएआई कर्मियों, वाहनों और एजेंटों को हवाईअड्डे तक ऐसी पहुंच प्रदान करेगा।

3.3.10 एएआई के अनुरोध पर, एएआई को एएआई सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए विद्युत शक्ति और पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में, एएआई जेवीसी द्वारा एएआई द्वारा उपभोग की गई सीमा तक बिजली और पानी की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

3.3.11 इस सीमा तक कि एएआई यह निर्धारित करता है कि, हवाईअड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाईअड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता

है, एएआई जेवीसी को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा और पक्षकार एएआई द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में समझौते तक पहुंचने के लिए चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे।

3.3.12 एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो उन्हें एएआई सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

3.3.13 एएआई सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाईअड्डे पर तैनात एएआई कर्मियों और एएआई के एजेंटों को जहां भी और जब भी आवश्यक हो, भारत सरकार की एजेंसियों पर समय-समय पर लागू नियमों और शर्तों पर कार्यालय स्थान और सुविधा हर समय उपलब्ध कराएगा।

3.3.14 अपनी लागत पर, प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम, मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगा।

3.3.15 यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में किसी भी विफलता या दोष और एएआई को किसी भी जेवीसी उपकरण की अनुपलब्धता के बारे में ऐसी विफलता या दोष से अवगत होते ही रिपोर्ट करें।

3.3.16 आपात स्थिति को छोड़कर, पक्षकारों के बीच लिखित रूप में परस्पर सहमति के अनुसार ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत, जेवीसी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के बारे में एएआई को सूचित करेगा।

3.3.17 एएआई के निर्देश पर, जेवीसी की लागत पर, रनवे या आवाजाही वाले क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी और एजेंट ऐसी किसी भी बाधा के बारे में जागरूक होने पर, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार एएआई को सूचित करें।

3.3.18 हवाईअड्डे पर किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारणों से, अपनी लागत पर एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करेगा।

3.3.19 यदि जेवीसी को आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक एएआई उपकरणों को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, तो एएआई उपकरणों के ऐसे वृद्धिशील (इंक्रीमेंटल) अपग्रेडेशन की लागत जेवीसी द्वारा वहन की जाएगी।

3.3.20 जेवीसी हर समय आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों के अनुसार जेवीसी उपकरणों का रखरखाव और अपग्रेडेशन करेगा।

4. राजस्व और शुल्क

4.1 मार्ग दिक्चालन सुविधा शुल्क

एएआई, प्रासंगिक सेवाओं का निष्पादन करने के प्रतिफल में, एयरलाइंस से सीधे मार्ग दिक्चालन सुविधा शुल्क वसूलने का हकदार होगा।

टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क, एयरलाइंस द्वारा देय, एयरलाइंस द्वारा सीधे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान किए जाएंगे।

संग्रह रूट नेविगेशन सुविधाएं शुल्क सीधे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एयरलाइंस से एकत्र किए जाएंगे। रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क का भुगतान करने में किसी एयरलाइन द्वारा विफलता की स्थिति में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसी एयरलाइन को सेवाओं के प्रावधान को निलंबित करने और अपने रूट दिक्चालन सुविधाएं शुल्क को वसूलने के लिए उचित समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाने का हकदार होगा। टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एयरलाइंस से एकत्र किए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क का भुगतान करने में किसी एयरलाइन द्वारा विफलता की स्थिति में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसी एयरलाइन को ऐसी सेवाओं के प्रावधान को निलंबित करने और अपने टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क को वसूलने के लिए उचित समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाने का हकदार होगा।

5. **सेवाओं के मानक और निष्पादन में विफलता** 5.1 **सेवाओं के मानक** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हर समय प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाएं प्रदान करेगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों के प्रावधान के संबंध में संयुक्त उपक्रम कंपनी को कोई भी खर्च उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हर समय ऐसे सेवाओं के मानक प्रदान करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रति घंटे रनवे आवाजाही एशिया प्रशांत क्षेत्र के पांच उच्चतम यातायात हवाईअड्डों (जेट विमान आवाजाही) में समान रनवे विन्यासों और मौसम संबंधी स्थितियों के तहत प्राप्त की जा रही सीमा के भीतर होगी।

5.2 **क्षतिपूर्ति** संयुक्त उपक्रम कंपनी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों को क्षतिपूर्ति करेगी, उनका बचाव करेगी और उन्हें सुरक्षित रखेगी, किसी भी और सभी भुगतानों के बराबर नुकसान, लागत, खर्च, देयता या क्षति से जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों पर लगाए गए हैं या उनके द्वारा उठाए गए हैं, संयुक्त उपक्रम कंपनी के दायित्वों के प्रदर्शन (चाहे कार्य या चूक द्वारा) के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या अंशतः (एक अप्रत्याशित घटना की घटना को छोड़कर), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु की चोट के दावे या संपत्ति के नुकसान या क्षति के दावे या नुकसान शामिल हैं। संयुक्त उपक्रम कंपनी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों को किसी भी और सभी भुगतानों के बराबर नुकसान, लागत, खर्च, देयता या क्षति से क्षतिपूर्ति करेगी, बचाव करेगी और उन्हें सुरक्षित रखेगी, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों पर लगाए गए हैं या उनके द्वारा उठाए गए हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के प्रावधान के अनुसरण में, सिवाय इसके कि जब ऐसा नुकसान, लागत, खर्च, देयता या क्षति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपल या एजेंटों की घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक या डिफ़ॉल्ट का परिणाम हो।

5.3 **देयता** पक्षकारों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएं इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं का एक संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय और इसके अनुसरण में दर्ज किए गए किसी भी दस्तावेज में, इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देयताओं के लिए पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दिया गया कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या वचन शामिल है, कानून में या इक्विटी में अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपाय के बावजूद। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के प्रावधान के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की देयता, आउटेज की अवधि के अनुरूप और/या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन मानकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता से गिरावट के अनुरूप टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क तक सीमित होगी।

6. **अप्रत्याशित घटना** संयुक्त उपक्रम कंपनी या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन को निलंबित करने या माफ करने के हकदार होंगे, इस सीमा तक कि ऐसा प्रदर्शन अप्रत्याशित घटना की घटना ("अप्रत्याशित घटना") द्वारा प्रत्यक्ष रूप से असंभव बना दिया गया हो, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी अप्रत्याशित घटना बनी रहती है।

इस समझौते में, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ होगा:-

1. युद्ध (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, प्रत्येक मामले में भारत को शामिल करना या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना;
2. क्रांति, दंगा, विद्रोह या अन्य नागरिक उपद्रव, आतंकवाद का कृत्य या तोड़फोड़, प्रत्येक मामले में भारत के भीतर;
3. परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी या रासायनिक संदूषण या आयनकारी विकिरण, जब तक कि विस्फोट, संदूषण, विकिरण या खतरनाक चीज़ का स्रोत या कारण संयुक्त उपक्रम कंपनी या संयुक्त उपक्रम कंपनी के किसी सहयोगी या संयुक्त उपक्रम कंपनी के किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार या उनमें से किसी के भी किसी भी कर्मचारी, सेवक या एजेंट द्वारा हवाईअड्डे पर या उसके पास नहीं लाया जाता है;
4. हड़ताल, नियम के अनुसार काम, कार्य की गति धीमा और/या तालेबंदी जो प्रत्येक मामले में व्यापक, राष्ट्रव्यापी या राजनीतिक हैं;
5. प्राकृतिक तत्वों का कोई भी प्रभाव, जिसमें बिजली गिरना, आग, भूकंप, ज्वार की लहर, बाढ़, तूफान, चक्रवात, टाइफून या बवंडर शामिल हैं;
6. विस्फोट (परमाणु विस्फोट या युद्ध के कृत्य के परिणामस्वरूप होने वाले विस्फोट को छोड़कर);
7. महामारी या प्लेग; या
8. दुर्घटना या शून्य से नीचे का तापमान;
9. उपर्युक्त खंड के पैराग्राफ में निर्धारित किसी भी घटना के समान प्रकृति की कोई भी घटना या परिस्थितियाँ।

6.3 **अप्रत्याशित घटना के लिए प्रक्रिया**

(क) जो पक्ष अप्रत्याशित घटना की घटना के कारण राहत का दावा करता है, वह पक्ष, अप्रत्याशित घटना की घटना के बारे में पता चलते ही, तुरंत निम्नलिखित का नोटिस और विवरण देगा: (i) जो अप्रत्याशित घटना घटित हुई है; (ii) वे दायित्व जो प्रदर्शन करने के लिए असंभव हो गए हैं; (iii) ऐसी अप्रत्याशित घटना के शुरू होने की तारीखें और अनुमानित समाप्ति; और (iv) वह तरीका जिससे अप्रत्याशित घटना इस समझौते के तहत पक्ष के दायित्वों को प्रभावित करती है। कोई भी पक्ष यहां अपने दायित्वों के गैर-प्रदर्शन को निलंबित करने या माफ करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ऐसे पक्ष ने ऊपर निर्दिष्ट नोटिस नहीं दिया हो।

(ख) प्रभावित पक्ष को नोटिस देने पर, उस विशिष्ट दायित्व के प्रदर्शन को निलंबित करने का अधिकार होगा जो प्रत्यक्ष रूप से असंभव बना दिया गया है।

(ग) अप्रत्याशित घटना के तहत राहत के दावे को प्राप्त करने वाला पक्ष, यदि वह दावे पर विवाद करना चाहता है, तो दावा प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर दावा करने वाले पक्ष को विवाद का एक लिखित नोटिस देगा। यदि ऊपर बताए अनुसार दस दिनों के भीतर दावे के नोटिस पर मुकाबला नहीं किया जाता है, तो इस समझौते के सभी पक्ष दावे की वैधता को स्वीकार कर चुके माने जाएंगे। यदि कोई पक्ष किसी दावे पर विवाद करता है, तो पक्ष अनुभाग में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

7. **अवधि** इस समझौते की अवधि संचालन, प्रबंधन और विकास समझौते के सह-समाप्ति होगी।

8. अधिकार हस्तांतरण

(i) संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा

संयुक्त उपक्रम कंपनी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या अपने सभी या किसी भी दायित्व या देयताओं को निर्दिष्ट, स्थानांतरित, बंधक, प्रभारित, उप-पट्टे पर नहीं देगी, सौदा नहीं करेगी, उप-अनुबंध, उप-लाइसेंस या अन्यथा अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा

इस प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य तरीके से अधिकार निर्दिष्ट करने, स्थानांतरित करने, सौदा करने या अधिकार प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना, यह स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है कि, संयुक्त उपक्रम कंपनी की सहमति की आवश्यकता के बिना:

क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार के लाभ को निर्दिष्ट कर सकता है या उन पर कोई अन्य प्रभार बना सकता है; और

ख. (ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और दायित्वों को निर्दिष्ट और स्थानांतरित कर सकता है, बशर्ते कि

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसे सभी दायित्वों के पूर्ण और पूर्ण पालन और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने की गारंटी देता हो। बशर्ते हालांकि कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समझौते को किसी उत्तराधिकारी इकाई या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के समान सेवाएं करने के लिए बनाई गई किसी भी वैधानिक या अन्य प्राधिकारी को बिना कोई गारंटी दिए सौंप सकता है।

9. विवाद निवारण

9.1 सौहार्दपूर्ण समाधान

पक्षकार किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे। यदि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के लिखित नोटिस के साठ दिनों के भीतर किसी विवाद का समाधान नहीं किया जाता है, तो प्रावधान लागू होंगे।

9.2 मध्यस्थता

(i) इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, जो इस प्रावधान के अनुसार अनसुलझे रहते हैं, (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत एक एकमात्र मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाएंगे, जो दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय किया जाएगा। इस घटना में कि पक्षकार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के तीस दिनों के भीतर एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते हैं, या किसी भी कारण से असमर्थ हैं, तो विवाद तीन मध्यस्थों से मिलकर बनी एक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को चुनेंगे जो न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

(ii) मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(iii) मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा।

(iv) यह प्रावधान इस समझौते की समाप्ति या अवधि की समाप्ति के बाद भी जीवित रहेगा।

(v) मध्यस्थता का शासी कानून भारत के कानून होंगे।

10. सूचनाएं

10.1 लिखित रूप में संचार ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक अन्यथा न कहा जाए, फैक्स या पत्र द्वारा किया जा सकता है।

10.2 पते

प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार किया जाना है) इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए इस प्रकार है: संयुक्त उपक्रम कंपनी के लिए: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सीएसआई एयरपोर्ट, मुंबई ध्यान दें: श्री जी.वी. संजय रेड्डी फैक्स नंबर: +91-40-2790 2665 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110003 ध्यान दें: अध्यक्ष फैक्स नंबर: +91-11-24541088, या कोई भी प्रतिस्थापन पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जैसा कि पक्ष पांच व्यावसायिक दिनों से कम के नोटिस द्वारा दूसरे पक्षों को सूचित कर सकता है।

11. प्राप्त माना जाना

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर जहां इसे भेजा गया है या (किसी अन्य मामले में) जब पते पर छोड़ा जाता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेजने के बाद ऐसे दस कार्य दिनों के भीतर डाक का भुगतान किया गया और उस पते पर संबोधित किया गया। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं।

12. समन्वय समिति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के सुचारू और कुशल प्रतिपादन को सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्द्वारा एक समन्वय समिति स्थापित करने का उपक्रम करते हैं और सहमत होते हैं जिसमें शामिल हैं: (i) संयुक्त उपक्रम कंपनी का प्रतिनिधि; (ii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधि; और (iii) अन्य एजेंसियों का प्रतिनिधि, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो। समन्वय समिति, जब तक कि समझौते के पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए सहमति नहीं दी जाती है, हवाईअड्डे पर महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

12.3 अलगावनीयता

इस समझौते के पूर्ववर्ती खंडों या प्रावधानों में से किसी की भी अवैधता या अप्रवर्तनीयता, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ऐसे खंडों या प्रावधानों के शेष हिस्से की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी। इस घटना में कि इस समझौते के किसी भी महत्वपूर्ण प्रावधान को अवैध या अप्रवर्तनीय माना जाता है, पक्षकार ऐसे अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान को बदलने के लिए तुरंत सद्भावना से नए प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे ताकि इस समझौते को यथासंभव इसके मूल इरादे और प्रभाव के करीब बहाल किया जा सके।

12.4 संपूर्ण समझौता

यह समझौता, इसके किसी भी अनुसूची या प्रदर्शन सहित, इस समझौते के विषय वस्तु के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त उपक्रम कंपनी के बीच संपूर्ण समझौते को समाहित करता है और ऐसे विषय वस्तु के संबंध में अन्य सभी समझौतों, चाहे लिखित हों या मौखिक, का स्थान लेता है।

12.5 संशोधन

कोई भी संशोधन, परिवर्तन या अन्य बदलाव किसी भी पक्ष पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति न दी जाए।

12.6 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाई

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज निष्पादित और वितरित करने और ऐसे अतिरिक्त कार्य करने और ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है, जो इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इस समझौते के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकते हैं।

12.7 देर से भुगतान के लिए ब्याज

इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को देय कोई भी राशि जो भुगतान देय होने की तिथि के बाद भी अवैतनिक रहती है, उस पर ब्याज लगेगा, ऐसा ब्याज उस तिथि से दिन-प्रतिदिन के आधार पर उपचय होगा जब से ऐसा भुगतान देय था जब तक कि ऐसी राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइम लेंडिंग रेट प्लस तीन सौ आधार अंकों की दर से पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दी जाती।

12.8 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता इसके पक्षकारों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और, इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी भी तीसरे पक्ष के साथ कोई संविदात्मक संबंध, या पक्ष में कार्रवाई का कारण नहीं बनाएगा।

12.9 प्रतिरूप

यह समझौता एक या अधिक प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को एक मूल माना जाएगा और जिनमें से सभी को एक ही समझौता माना जाएगा।

अनुसूची 1

संयुक्त उपक्रम कंपनी (JVC) के उपकरण

- **रनवे**: रनवे की रोशनी और अंकन (मार्किंग)
- **टैक्सीवे**: टैक्सीवे की रोशनी और अंकन (मार्किंग)
- **संकेत/साइनबोर्ड (Signage)**
- **एप्रन**: एप्रन की रोशनी और अंकन (मार्किंग)
- **पीएपीआई (PAPI) और एप्रोच लाइटिंग**: सटीक पहुंच पथ संकेतक (Precision Approach Path Indicator) और एप्रोच प्रकाश व्यवस्था
- **एरोड्रोम बीकन**: (टावर पर स्थापित)
- **दिन और रात का लैंडिंग अंकन (मार्किंग)**
- **विंड सॉक (Wind Sock) और सिग्नल स्क्वायर**
- **आइसोलेशन बे (Isolation Bay)**
- **द्वितीयक बिजली आपूर्ति (Secondary Power Supply)**
- **हॉटलाइन्स**: एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और हवाई अड्डा अग्निशामक दल (Fire Brigade) के बीच सीधी संचार लाइनें
- **क्रैश बेल केबलिंग और साइट**
- **नियंत्रण पैनल**: एयरफील्ड लाइटिंग के लिए नियंत्रण पैनल और निगरानी प्रणाली
- **दृश्य सहायक उपकरण का उन्नयन (भविष्य में)**: अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के अनुलग्नकों और दस्तावेजों के अनुपालन में किसी भी और सभी दृश्य सहायक प्रणालियों (या किसी भी प्रतिस्थापन प्रणाली) का उन्नयन और प्रावधान

अनुसूची 2

सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई क्षेत्र की पार्श्व और लंबवत सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र विन्यास के अनुसार हवाईअड्डे पर निम्नलिखित सेवाओं ("सीएनएस/एटीएम सेवाएं") को प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

(i) **एरोड्रोम नियंत्रण सेवा**: सतह आवाजाही नियंत्रण या ग्राउंड नियंत्रण सहित, एप्रन नियंत्रण को छोड़कर;

(ii) **एप्रोच नियंत्रण/एप्रोच रडार नियंत्रण सेवा**;

(iii) **क्षेत्र नियंत्रण/क्षेत्र रडार नियंत्रण सेवा** (यदि योजनाबद्ध हो); और

(iv) **संबद्ध सेवाएं**: जैसे कि वैमानिक सूचना सेवा, उड़ान सूचना सेवा, सलाहकार सेवा, अलर्टिंग सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं, जैसा भी उचित हो, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुलग्नकों और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक अनुसार।

12.10 समय का अत्यंत महत्व

इस समझौते में समय का अत्यंत महत्व होगा, चाहे वह उल्लेखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो, या किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में हो जिसे इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

12.11 समय की गणना

इस समझौते में संदर्भित समय दिल्ली, भारत का समय है। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमत किसी भी समय अवधि की गणना करने में, उस अधिनियम, घटना या चूक का दिन, जिससे निर्दिष्ट समय अवधि शुरू होती है, शामिल किया जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कोई कार्य दिवस नहीं है, तो अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक चलेगी।

13. शासी भाषा

इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेज जो किसी भी तरह से इस समझौते से संबंधित हैं और जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति के लिए प्रासंगिक हैं, जिनमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही शामिल है लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

14. शासी कानून

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार अर्थ निकाला जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हेतु और के लिए हस्ताक्षरकर्ता..... हस्ताक्षरकर्ता.....	साक्षी.....
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हेत और के लिए हस्ताक्षरकर्ता.....	साक्षी.....